(81)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

पत्रांकः—पी.एच. / बि.ज.स्व.मि.—1014 / 2014—1327 दिनांकः— 31-12-2014

प्रेषकः

जयशंकर चौधरी,
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव—
सह—सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र,
तीसरा तल, टेक्नॉलाजी भवन,
बेली रोड, पटना।

विषयः स्वछ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य के 11 जिलों में जिला समन्वयकों के रिक्त पदों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु web based application तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वछ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य के 11 जिलों यथा—मुजफ्फरपुर, मुंगेर, कटिहार, किशनगंज, गोपालगंज, सारण, मधेपुरा, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद तथा अरवल जिलों में जिला समन्वयकों को संविदा के आधार पर रखने हेतु चयन की कार्रवाई की जानी है।

संविदा आधारित नियुक्ति के लिए चयन की निर्धारित प्रक्रिया के ToR के आलोक में नियमित आवेदन online प्राप्त किये जाने हैं तथा चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्पादित की जायेगी।

अतः उपर्युक्त ToR की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि जिला समन्वयकों के लिए online आवेदन प्राप्त करने हेतु web based application तैयार कर राज्य मिशन को अवगत कराया जाय ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाय सके।

विश्वासभाजन

31/12/14

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिला समन्वयक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विज्ञापन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिला समन्वयक के रिक्त पदों के लिए ऑन–लाइन (On-line) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की बेवसाइट www.bswsmpatna.org पर देखा जा सकता है। संविदा आधारित पदों का नाम, मासिक मानदेय एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्रम	पद का नाम/रिक्तियां	मासिक मानदेय	अनिवार्य अर्हतायें
1.	जिला समन्वयक (रिक्त पदों की संख्या 11)	रू. 25,300.00 (यात्रा भत्ता एवं मोबाइल भत्ता सहित)	अभियंत्रण/सामाजिक विज्ञान/लोक स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित संकाय में स्नातक की डिग्री तथा सामाजिक कार्यों विशेषकर जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। **अथवा** बिहार सरकार सहायक अभियंता पद के समकक्ष पद से सेवानिवृत कर्मी। स्नात्तकोत्तर आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

नोटः पद राज्य के सभी जिलों के लिए विज्ञापित हैं, वर्तमान पद पर कार्यरत् राज्य मिशन कर्मी समकक्ष पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या परिर्वतनीय है।

2. **संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता –**

- आवेदक भारत के नागरिक हो।
- उम्र सीमा – जिला समन्वयक के लिए चयन के वर्ष की पहली जनवरी को अधिकतम् 45 वर्ष है।
  बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर प्रवृत्त अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पूर्व सैन्य कर्मियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। यह छूट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दो (2) वर्ष, महिला उम्मीदवारों के लिए तीन (3) वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच (5) वर्ष अनुमान्य होगी। पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच (5) वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए अधिकतम् उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। विकलांगों के लिए दस (10) वर्ष अनुमान्य होगी।
- स्नात्तकोत्तर डिग्रीधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- सेवानिवृत कर्मियों को मानदेय बिहार सरकार के नियमानुकूल अधिकतम् विज्ञापित राशि तक भुगतान किये जायेंगे।

3. **मेधा सूची का निर्धारणः–**

i. **जिला समन्वयक–** शैक्षणिक योग्यता (70) + लिखित परीक्षा (20) + व्यक्तिगत् साक्षात्कार (10) 100 अंको में विभाजित किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित पदो के ToR का अवलोकन करें।

ii- विज्ञापित पदो के विरूद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की मेधा सूची बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तैयार की जायेगी। मेधा सूची में से विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों को interview के लिए मूल प्रमाण–पत्रों के साथ आमंत्रित किया

जायेगा। विज्ञापित पदों की संख्या के चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ–साथ 1 : 3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जो आगामी 3 वर्षों हेतु मान्य होगा।

iii- **चयन समिति–**

संविदा के आधार पर जिला समन्वयक एवं प्रखण्ड समन्वयक के चयन हेतु समिति निम्न प्रकार होगी–

i.	अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग –सह– सदस्य, सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति	**अध्यक्ष**
ii.	निदेशक, पीएमयू, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति	सदस्य सचिव
iii.	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी (अधीक्षण अभियंता पद के समकक्ष)	सदस्य
iv.	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नामित जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव	सदस्य
v.	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नामित विशेषज्ञ संस्था के प्रतिनिधि	सदस्य

4. एक से ज्यादा आवेदन किये जाने पर आवेदन रद्द माना जायेगा। किसी भी परिस्थिति में पदस्थापन जिला समन्वयक के लिए में नहीं होगा और नियुक्ति उपरांत कर्मी को पदस्थापित मुख्यालय में रहना होगा।
5. **आरक्षणः–** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए पत्रांक 458 दिनांक–30.09.2002 द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

जिला समन्वयकों के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु रोस्टर

क्रम	**कोटि**	**पदों की संख्या**
1.	अनारक्षित	00
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	05
3.	अनुसूचित जाति	05
4.	पिछड़ा वर्ग	00
5.	पिछड़ा वर्ग महिला	01

6. **एकरारनामाः–** जिला समन्वयक हेतु संविदा पर रखे जाने के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं बिहार जल एवं स्वच्छता मिशन के बीच एकरारनामा किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकार निदेशक, पी0एम0यू0 होंगे।
7. संविदा के आधार पर नियोजन उपर्युक्त सभी कर्मियों की कार्य अवधि तीन वर्ष की होगी, जो कि वार्षिक रूप से कार्यक्षमता के प्रदर्शन एवं सेवा संतोषप्रद पाये जाने के उपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा विस्तारित की जायेगी।
8. जिला समन्वयक के पद पूरी तरह से अस्थाई और परियोजना आधारित हैं। ये पद भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा संपोषित परियोजना के आलोक में ही सृजित हैं। परियोजना समाप्ति के साथ ही ये पद स्वतः समाप्त माने जायेंगे अर्थात् इस पद संविदा के आधार पर रखे जाने वाले व्यक्ति किसी भी स्थिति में स्थायी पद अथवा समायोजन के हकदार नहीं होंगे।
9. संविदा अवधि समाप्ति के उपरांत यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
10. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं माने जायेंगे।
11. संविदा पर नियोजित कर्मी स्थायीकरण/नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही वे इसके पात्र होंगे।

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिला समन्वयक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विज्ञापन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिला समन्वयक के रिक्त पदों के लिए ऑन-लाइन (On-line) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की बेवसाइट www.bswsmpatna.org पर देखा जा सकता है। संविदा आधारित पदों का नाम, मासिक मानदेय एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार हैः-

क्रम	पद का नाम/रिक्तियां	मासिक मानदेय	अनिवार्य अर्हतायें
1.	जिला समन्वयक (रिक्त पदों की संख्या 11)	रू. 25,300.00 (यात्रा भत्ता एवं मोबाइल भत्ता सहित)	अभियंत्रण/सामाजिक विज्ञान/लोक स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित संकाय में स्नातक की डिग्री तथा सामाजिक कार्यों विशेषकर जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। **अथवा** बिहार सरकार सहायक अभियंता पद के समकक्ष पद से सेवानिवृत कर्मी। स्नात्तकोत्तर आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

नोटः पद राज्य के सभी जिलों के लिए विज्ञापित हैं, वर्तमान पद पर कार्यरत् राज्य मिशन कर्मी समकक्ष पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या परिर्वतनीय है।

विज्ञापित पदों की विवरणी तथा आवेदन प्रपत्र का प्रारूप बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के वेबसाइट www.bswsmpatna.org पर उपलब्ध है तथा **आवेदन पत्र online ही स्वीकार किये जाएगें।** Online आवेदन दिनांक .... से दिनांक .... तक submit किये जायेंगे।

विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार अधोहस्ताक्षरी के अधीन संहित है। अधोहस्ताक्षरी विज्ञापन को संशोधित/रद्द के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग-सह-
सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

12. संविदा पर नियोजित कर्मियों के विरूद्ध संविदा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में सम्यक कार्रवाई के लिए बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति सक्षम प्राधिकार होगा।
13. **संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व** – बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन नियोजित कर्मियों के द्वारा किया जायेगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छता योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वियन होगा। कर्मियों के कर्तव्य व दायित्व वेबसाइट पर उपलब्ध है।
14. चूंकि योजना केन्द्र/राज्य प्रायोजित है, अतएव अनुबंध के आधार पर यह सावधिक नियोजन तभी मान्य होगा जब तक योजना के कार्यान्वन हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी।
15. आवेदन प्रारूप बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति के वेबसाइट www.bswsmpatna.org पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र online ही स्वीकार किये जाएगें।
16. Online आवेदन दिनांक .... से दिनांक .... तक submit किये जायेंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार के आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
17. विज्ञापन एवं शर्तो से संबंधित सभी अधिकार अधोहस्ताक्षरी के अधीन है। अधोहस्ताक्षरी विज्ञापन को संशोधित/रद्द के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग–सह–
सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

Bihar State Water and Sanitation Mission
Vishveshwaraiya Bhawan Complex, Bailey Road, Patna-15

Term of Reference for District Coordinator, Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)

1. POSITION: District Coordinator, NBA (11)

2. PURPOSE OF ASSIGNMENT

   Provide technical support to District Water and Sanitation Committee (DWSC) in the implementation of Nirmal Bharat Abhiyan (NBA), contributing to adoption of hygiene practices within families, schools and Anganwadis etc.

3. PROGRAMME AREAS

   Programmatic interventions implementation coordination and activities support supervision under the Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)/Lohiya Swcchhta Yojana (LSY)

4. BASIC OBJECTIVE TO WHICH THE CONSULTANCY IS RELATED

   To provide Coordination and Implementation Assistance and Related Resource Mobilization as per project need.

5. DUTY STATION

   District Headquarters of State districts

6. DURATION

   3 years-(annual extension will be given annually on satisfactory performance)

   The employment may be terminated through one month notice from either side or one month's salary (gross) in lieu of notice period.

7. SUPERVISOR

   Executive Engineer-cum-Member Secretary, DWSCs

8. Desired Qualification and Experiences

   Graduate in Engineering / Social Science (Sociology/ Psychology/ History/ Geography/ Political Science/ Humanities/ Gender Studies/ Women Studies/ Social Welfare/ Rural Development)/ Public Health or related areas with minimum 3 years field experience in Social development especially in Water and Sanitation sector.

   - Sound professional skills in planning, implementation, of Water supply and Sanitation programmes and monitoring and reporting.
   - Good liasoning skills to interact with Government counterparts and ability to facilitate training at district and block level, organizing workshops and review meetings would be essential.
   - The knowledge of computers and its operation would be mandatory. Proficient in computer skills especially for using MS Office package (word/excel/PowerPoint) and use of internet.
   - Understanding of English and Hindi language and fluency of speaking and writing would be essential

   OR Retired Engineers of Bihar Government Services not below the rank of Assistant Engineer (AE) level

9. HONORARIUM AND OTHER ENTITLEMENTS

Rs. 25,300/-PM (including Rs. 3000 per convenes allowance and Rs. 300 for Mobile allowance)

In case of employment to retired personnel the honorarium will be paid the difference amount of last pay drawn and pension subject to upper limit of Rs. 25,300/- PM (including Rs. 3000 per convenes allowance and Rs. 300 for Mobile allowance)

10. MAJOR TASK TO BE ACCOMPLISHED

I. Support DWSC to develop the Project Implementation Plan (PIP) & Annual Implementation Plan (AIP) of NBA.

II. Provide technical support to DWSC at district level to develop revised project proposals for Nirmal Bharat Abhiyan, Lohia Swachchta Yojna (LSY), SSHE Programme and other Water & Sanitation related programmes /projects.

III. Assist DWSC in preparing behaviour change communication and capacity building plan for beneficiaries & stakeholders and facilitate its implementation.

IV. Organize and facilitate district level ToTs, Workshops, Orientation Programmes, social mobilization and communication activities.

V. Coordinate with Block Coordinators and compile weekly, fortnightly, monthly progress reports of NBA/LSY and Drinking Water Quality.

VI. Coordinate with UNICEF, WSP, DFID, PSI, GSF, Jeevika/ Mahila Samakhaya/ Nehru Yuva Kendra Sangathan etc. for better implementation of NBA and LSY.

VII. Assist DWSC/ PHED to prepare plans for providing drinking water and sanitation facilities in all Elementary schools & Anganwadies under NRDWP & NBA and other programmes respectively.

VIII. Any other responsibility that may be considered necessary.

11. Monthly Deliverables:

Monthly report indicating the activities undertaken, tasks accomplished and results achieved based on monthly plan. The following minimum deliverables are expected:

a. Progress report on Project Implementation Plan (PIP) & Annual Implementation Plan (AIP) of NBA
b. Monthly status on district level ToTs, Workshops, Orientation Programmes, social mobilization and communication activities
c. Progress report on the NBA/LSY and Drinking Water Quality implementation in the district
d. Ensuring behaviour change communication and capacity building plan for beneficiaries & stakeholdersgetting implemented within districts

12. Age : Not More than 45 years

In case of retired Engineers the maximum age limit would be 65 years.

13. Method of Selection:

A. The selection procedure would be applicable as prescribed by taking consideration on the desirable qualification & experience and the competency assessment through written and personal interview with following weightage:

Sl. No.	Particular	Weightage
1.	Point system on qualification and experiences	60
2.	Post graduate degree	10
3.	Written Examination	20

4.	Personal Interview	10
	Total Marks	**100**

B. Points specification education qualification and experience:

Min. Edu. Qualification	% marks/ Points	% marks/ Points	% marks/ Points	% marks/ Points
% marks	> 80%	<80%, >70%	<70%, >60%	<60%
Graduation	30	25	20	15
Intermediate	15	12	9	6
Matriculation	15	12	9	6

****